# उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पृष्ठांकन कमांक –18291––/ बिलासपुर, दिनांक 11/09/2025
चार–12–8/2000 (DA)

छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0) के परिपत्र कमांक RULE/478/2025-FINANCE, दिनांक 25.08.2025 (वित्त निर्देश 30/2025) की छायाप्रति ;

1. निदेशक, छत्तीसगढ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर (छ0ग0).
2. प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) दुर्ग / रायपुर / बिलासपुर / रायगढ / अम्बिकापुर / कोरबा/ मनेन्द्रगढ / जॉजगीर–चॉपा /राजनांदगांव/जगदलपुर /धमतरी/महासमुंद /कबीरधाम (कवर्धा)/उत्तर बस्तर कांकेर /जशपुर /बेमेतरा / बलौदा बाजार / सूरजपुर/ कोण्डागांव/बालोद /दंतेवाडा/ मुंगेली (छ0ग0).
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाव / दुर्ग / रायपुर / बिलासपुर / रायगढ / बस्तर (जगदलपुर) / दक्षिण बस्तर , दंतेवाड़ा / सरगुजा (अम्बिकापुर) / जशपुर /कबीरधाम (कवर्धा) / कोरबा / धमतरी / जांजगीर–चांपा / कोरिया (बैकुण्ठपुर) / महासमुंद / उत्तर बस्तर (कांकेर) /बलौदा बाजार / बालोद / सूरजपुर / बेमेतरा /कोण्डागांव/ मुंगेली / बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ0ग0).
4. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), राजनांदगांव / दुर्ग / रायपुर / बिलासपुर /सरगुजा (अम्बिकापुर)/बस्तर (जगदलपुर)/ कोरबा/ रायगढ/ जॉजगीर–चॉपा/कोरिया (बैकुण्ठपुर) (छ0ग0).
5. न्यायाधीश, कॉमर्शियल कोर्ट (जिला स्तर), द्वितीय तल, योजना भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0).
6. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर (छ0ग0).
7. सचिव, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर, (छ0ग0).
8. बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, बिलासपुर (छ0ग0).
9. लेखाधिकारी, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, बिलासपुर (छ0ग0).
10. अनुभाग अधिकारी (वेतन/पेंशन), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, बिलासपुर (छ0ग0) ,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

11. एन0आई0सी0 इंचार्ज, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, बिलासपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

11.9.25

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(आर0पी0 देवांगन)
बजट अधिकारी

वित्त निदेश 30/2025

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/8/2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त संभागायुक्त

समस्त कलेक्टर

छत्तीसगढ़

विषयः–राज्य शासन के शासकीय सेवकों का पुनरीक्षित वेतनमान–2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें।

--0--

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 180/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, दिनांक 05.03.2025 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिनांक 1 मार्च, 2025 से सातवें वेतनमान में 53% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 246% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जायेः–

| वेतनमान | अवधि जब से देय | महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत | वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर |
|---|---|---|---|
| सातवां वेतनमान | दिनांक 1 सितम्बर, 2025 | 2% | 55% |
| छठवां वेतनमान | दिनांक 1 सितम्बर, 2025 | 6% | 252% |

राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :–

1. उपरोक्तानुसार निर्धारित महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान माह सितम्बर, 2025 के वेतन, जो अक्टूबर में देय होगा, से किया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

25/8/2025

(डॉ. ए.के सिंह)

अपर सचिव

S.O. Accounts

4.9.25

A.O.



04-09-2025, 10:48